संख्या : 15288/जी0एस0(शिक्षा)/J-56/2016

प्रेषक,

जी0डी0 नौटियाल,
उपसचिव श्री राज्यपाल।

सेवा में,

कुलपतिगण,
गो०ब०पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, पंतनगर/दून विश्वविद्यालय, देहरादून/वीर माधो सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड़ प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, देहरादून/श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय, बादशाहीथौल, टिहरी गढ़वाल/हे०न०ब० उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय, देहरादून/उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय, देहरादून/उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय, हरिद्वार/कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल/उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी/सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय, अल्मोड़ा/वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली उत्तराखण्ड औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, भरसार, पौड़ी गढ़वाल।

राज्यपाल/कुलाधिपति सचिवालय उत्तराखण्ड : **देहरादून : दिनांक :13 सितम्बर, 2024**

विषय : उत्तर प्रदेश राज्य के जनपदों में स्थापित विश्वविद्यालयों के कुलपति पद हेतु निर्गत विज्ञप्ति को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रसारित करने विषयक।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक डा0 सुधीर कुमार बोबडे, अपर मुख्य सचिव, श्री राज्यपाल, उ0प्र0 द्वारा सचिव श्री राज्यपाल को ई0मेल द्वारा प्रेषित पत्रों (छायाप्रति संलग्न) का अवलोकन करने का कष्ट करें।

अपर मुख्य सचिव महोदय द्वारा उत्तर प्रदेश के विभिन्न विश्वविद्यालयों यथा–महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय–आजमगढ़, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय–मेरठ, बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय–झांसी, माँ शाकुम्भरी विश्वविद्यालय–सहारनपुर एवं राजा महेन्द्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय–अलीगढ़ में कुलपति के पद नियुक्ति सम्बन्धी प्रक्रिया विचारधीन होने के सम्बन्ध में अवगत कराते हुए उक्त विज्ञप्ति उत्तराखण्ड राज्य विश्वविद्यालयों की वेबसाइट पर प्रसारित करने का अनुरोध किया गया है।

अतः इस सम्बन्ध में उक्त पत्रों की छायाप्रतियां इस आशय से आपको संलग्न कर प्रेषित की जा रहीं हैं कि कृपया उक्त विज्ञप्तियों को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रसारित किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाई करने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय
13/09/2024

(जी0डी0 नौटियाल)
उपसचिव श्री राज्यपाल

ई–मेल

राज्यपाल सचिवालय, उत्तर प्रदेश
लखनऊ–226027

संख्या : ई– 6480 / जी0एस0
दिनांक : अगस्त 23, 2024

प्रेषक,

श्री राज्यपाल / कुलाधिपति के अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

प्रमुख सचिव / सचिव, श्री राज्यपाल,
समस्त राज्य,
भारत।

महोदय,

उत्तर प्रदेश के आजमगढ जिले में महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ (उ0प्र0) स्थापित है।

उपर्युक्त विश्वविद्यालय के कुलपति पद पर नियुक्ति सम्बन्धी प्रकिया वर्तमान में विचाराधीन है। इस सम्बन्ध में विज्ञापन संख्या : ई–6347 / 2024, दिनांक अगस्त 22, 2024 (हिन्दी / अंग्रेजी की प्रति संलग्न) को प्रकाशित कराया जा रहा है। मा0 राज्यपाल, उत्तर प्रदेश द्वारा उपर्युक्त विज्ञापन को समस्त प्रदेशों के विश्वविद्यालयों की वेबसाइट पर भी अपलोड कराने के निर्देश दिये गये है।

अतः इस सम्बन्ध में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया अपने प्रदेश के सम्बन्धित विश्वविद्यालयों की वेबसाइट पर उपर्युक्त विज्ञापन को अपलोड कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

संलग्नक :– यथोपरि।

(डॉ0 सुधीर एम0 बोबडे)
अपर मुख्य सचिव, श्री राज्यपाल, उ0प्र0।

I

राज भवन, लखनऊ

महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ़ (उ.प्र.) के कुलपति के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन आमंत्रित करने के संबंध में सूचना

विज्ञापन संख्या : ई–6347 / 2024 दिनांक : अगस्त 22, 2024

महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ़ (उ.प्र.), जो कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्र. 10 सन् 1973) के अन्तर्गत स्थापित है, के कुलपति की नियुक्ति उक्त अधिनियम की धारा–12 के अधीन गठित समिति द्वारा अनुसंशित पैनल में से कुलाधिपति के द्वारा की जानी प्रस्तावित है।

कुलपति का कार्यकाल पदभार ग्रहण करने के दिनांक से 03 वर्ष की अवधि के लिए अथवा अपनी आयु 68 वर्ष पूर्ण करने तक, जो भी पहले हो, के लिए होगा। कुलपति के पद हेतु केवल वही व्यक्ति पात्र होगा जिसने 65 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो।

चूंकि कुलपति विश्वविद्यालय का प्रधान कार्यपालक और शैक्षणिक अधिकारी होता है, इसलिये अभ्यर्थी में उच्च कोटि की क्षमता, सत्यनिष्ठा, नैतिकता एवं संस्थागत वचनबद्धता होनी चाहिए। अभ्यर्थी को विख्यात शिक्षाविद होने के साथ–साथ ठोस प्रशासनिक अनुभव भी होना चाहिए।

विश्वविद्यालय में नियुक्त व कार्यरत वर्तमान कुलपति का कार्यकाल पूर्ण हो जाने एवं उक्त विज्ञापित पद रिक्त होने के पश्चात् ही इस विज्ञापन के माध्यम से नवनियुक्त कुलपति द्वारा कार्यभार ग्रहण किया जा सकेगा।

कुलपति पद के लिए इच्छुक अभ्यर्थी राज भवन की वेबसाइट "www.upgovernor.gov.in" पर उपलब्ध निर्धारित प्रारूप में अपना आवेदन दिनांक **04.10.2024 (शुक्रवार)** तक केवल ऑन लाइन **(On Line)** प्रेषित कर सकते हैं।

निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त होने वाले किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

अपर मुख्य सचिव, श्री राज्यपाल,
उत्तर प्रदेश।

RAJ BHAVAN, LUCKNOW.

NOTICE INVITING APPLICATIONS FOR APPOINTMENT OF VICE CHANCELLOR FOR MAHARAJA SUHEL DEV STATE UNIVERSITY, AZAMGARH (U.P.)

Advt. No. E-6347/2024 Dated : August 22, 2024

It is proposed to appoint the Vice-Chancellor for Maharaja Suhel Dev State University, Azamgarh (U.P.), established under the Uttar Pradesh State Universities Act, 1973 (No. 10 of 1973) by the Chancellor, out of a panel to be recommended by a Committee appointed in terms of Section- 12 of the said Act

The Vice-Chancellor shall hold office for a term of 03 years from the date on which he/she enters upon his/her office or till he/she attains the age of 68 years whichever is earlier. Only such person shall be eligible for appointment to the office of Vice Chancellor who has not attained the age of 65 years.

As the Vice Chancellor is the Principal Executive and Academic Officer of the University, he/she should have highest level of competence, integrity, morals and institutional commitment. He/She is required to have sound administrative acumen besides being a distinguished person in the field of Education.

The newly appointed Vice Chancellor can take charge through this advertisement only after the tenure of the present Vice Chancellor appointed and working in the University is completed and the said advertised post becomes vacant.

The applicant for the post of Vice-Chancellor may send his/her application Online only in prescribed format available on the website "**www.upgovernor.gov.in**" on or before **04-10-2024 (Friday)**.

Any application received after the prescribed date shall not be considered.

Additional Chief Secretary to the Governor,
Uttar Pradesh.

E-15069/2024

II

ई-मेल

राज्यपाल सचिवालय, उत्तर प्रदेश
लखनऊ-226027

संख्या : ई-6472/जी0एस0
दिनांक : अगस्त 27, 2024

प्रेषक,

श्री राज्यपाल/कुलाधिपति के अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

प्रमुख सचिव/सचिव, श्री राज्यपाल, / SO(Edu)
समस्त राज्य,
भारत।

महोदय,

उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले मे चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ (उ0प्र0) में एक प्राचीन विश्वविद्यालय स्थापित है।

उपर्युक्त विश्वविद्यालय के कुलपति पद पर नियुक्ति सम्बन्धी प्रक्रिया वर्तमान मे विचाराधीन है। इस सम्बन्ध मे विज्ञापन संख्या : ई-6453/2024, दिनांक अगस्त 27, 2024 (हिन्दी/अंग्रेजी की प्रति संलग्न) को प्रकाशित कराया जा रहा है। मा0 राज्यपाल, उत्तर प्रदेश द्वारा उपर्युक्त विज्ञापन को समस्त प्रदेशों के विश्वविद्यालयों की वेबसाइट पर भी अपलोड कराने के निर्देश दिये गये है।

अतः इस सम्बन्ध में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया अपने प्रदेशों में सम्बन्धित विश्वविद्यालयों की वेबसाइट पर उपर्युक्त विज्ञापन को अपलोड कराने का कष्ट करें।

AS/SOEdu
10/9/24

भवदीय,

संलग्नक :- यथोपरि।

(डॉ0 सुधीर एम0 बोबडे)
अपर मुख्य सचिव, श्री राज्यपाल, उ0प्र0।

राज भवन, लखनऊ

चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ (उ.प्र.) के कुलपति के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन आमंत्रित करने के संबंध में सूचना

विज्ञापन संख्या : ई-8453/2024 दिनांक : अगस्त 27, 2024

चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ(उ.प्र.) जो कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्र. 10 सन् 1973) के अन्तर्गत स्थापित है, के कुलपति की नियुक्ति उक्त अधिनियम की धारा–12 के अधीन गठित समिति द्वारा संस्तुत पैनल में से कुलाधिपति के द्वारा की जानी प्रस्तावित है।

कुलपति का कार्यकाल पदभार ग्रहण करने के दिनांक से 03 वर्ष की अवधि के लिए अथवा उनकी आयु 70 वर्ष पूर्ण करने तक, जो भी पहले हो, के लिए होगा। कुलपति के पद हेतु केवल वही व्यक्ति पात्र होगा जिसने 65 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो।

चूंकि कुलपति विश्वविद्यालय का प्रधान कार्यपालक और शैक्षणिक अधिकारी होता है, इसलिये अभ्यर्थी में उच्च कोटि की क्षमता, सत्यनिष्ठा, नैतिकता एवं संस्थागत प्रतिबद्धता होनी चाहिए। अभ्यर्थी को विख्यात शिक्षाविद् होने के साथ-साथ श्रेष्ठ प्रशासनिक अनुभव भी होना चाहिए।

विश्वविद्यालय में नियुक्त व कार्यरत वर्तमान कुलपति का कार्यकाल पूर्ण हो जाने एवं उक्त निर्धारित पद रिक्त होने के पश्चात् ही इस विज्ञापन के सापेक्ष में नवनियुक्त कुलपति द्वारा कार्यभार ग्रहण किया जा सकेगा।

कुलपति पद के लिए इच्छुक अभ्यर्थी राज भवन की वेबसाइट "www.upgovernor.gov.in" पर उपलब्ध निर्धारित प्रारूप में अपना आवेदन दिनांक 25 अक्टूबर, 2024 (शुक्रवार) तक केवल ऑन लाइन (On Line) प्रेषित कर सकते हैं।

निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त होने वाले किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

अपर मुख्य सचिव, श्री राज्यपाल,
उत्तर प्रदेश

RAJ BHAVAN, LUCKNOW.

NOTICE INVITING APPLICATIONS FOR APPOINTMENT OF VICE CHANCELLOR FOR CHAUDHARY CHARAN SINGH UNIVERSITY, MEERUT (U.P.)

Advt. No. E-6453/2024 Dated : August 27, 2024

It is proposed to appoint the Vice-Chancellor for Chaudhary Charan Singh University, Meerut (U.P.), established under the Uttar Pradesh State Universities Act, 1973 (No. 10 of 1973) by the Chancellor, out of a panel to be recommended by a Committee appointed in terms of Section- 12 of the said Act.

The Vice-Chancellor shall hold office for a term of 03 years from the date on which he/she enters upon his/her office or till he/she attains the age of 68 years whichever is earlier. Only such person shall be eligible for appointment to the office of Vice Chancellor who has not attained the age of 65 years.

As the Vice Chancellor is the Principal Executive and Academic Officer of the University, he/she should have highest level of competence, integrity, morals and institutional commitment. He/She is required to have sound administrative acumen besides being a distinguished person in the field of Education.

The newly appointed Vice Chancellor can take charge through this advertisement only after the tenure of the present Vice Chancellor appointed and working in the University is completed and the said advertised post becomes vacant.

The applicant for the post of Vice-Chancellor may send his/her application Online only in prescribed format available on the website "www.upgovernor.gov.in" on or before **04 October, 2024 (Friday).**

Any application received after the prescribed date shall not be considered.

Additional Chief Secretary to the Governor,
Uttar Pradesh.

E-15067/2024

III

ई–मेल

राज्यपाल सचिवालय, उत्तर प्रदेश
लखनऊ–226027

संख्या : ई– 6414 / जी0एस0
दिनांक : अगस्त 27, 2024

प्रेषक,

श्री राज्यपाल / कुलाधिपति के अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

प्रमुख सचिव / सचिव, श्री राज्यपाल,
समस्त राज्य,
भारत।

SO (Edu)

महोदय,

उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झांसी (उ0प्र0) में एक प्राचीन विश्वविद्यालय स्थापित है।

उपर्युक्त विश्वविद्यालय के कुलपति पद पर नियुक्ति सम्बन्धी प्रक्रिया वर्तमान में विचाराधीन है। इस सम्बन्ध में विज्ञापन संख्या : ई–6410 / 2024, दिनांक अगस्त 24, 2024 (हिन्दी / अंग्रेजी की प्रति संलग्न) को प्रकाशित कराया जा रहा है। मा0 राज्यपाल, उत्तर प्रदेश द्वारा उपर्युक्त विज्ञापन को समस्त प्रदेशों के विश्वविद्यालयों की वेबसाइट पर भी अपलोड कराने के निर्देश दिये गये है।

AS/SO Edu
10/9/24

अतः इस सम्बन्ध में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया अपने प्रदेशों से सम्बन्धित विश्वविद्यालयों की वेबसाइट पर उपर्युक्त विज्ञापन को अपलोड कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

संलग्नक :– यथोपरि।

(डॉ0 सुधीर एम0 बोबडे)
अपर मुख्य सचिव, श्री राज्यपाल, उ0प्र0।

राज भवन, लखनऊ

बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झांसी (उ.प्र.) के कुलपति के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन आमंत्रित करने के संबंध में सूचना

विज्ञापन संख्या : ई–6410 / 2024 दिनांक : अगस्त 24, 2024

बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झांसी(उ.प्र.), जो कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्र. 10 सन् 1973) के अन्तर्गत स्थापित है, के कुलपति की नियुक्ति उक्त अधिनियम की धारा–12 के अधीन गठित समिति द्वारा अनुसंशित पैनल में से कुलाधिपति के द्वारा की जानी प्रस्तावित है।

कुलपति का कार्यकाल पदभार ग्रहण करने के दिनांक से 03 वर्ष की अवधि के लिए अथवा अपनी आयु 68 वर्ष पूर्ण करने तक, जो भी पहले हो, के लिए होगा। कुलपति के पद हेतु केवल वही व्यक्ति पात्र होगा जिसने 65 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो।

चूंकि कुलपति विश्वविद्यालय का प्रधान कार्यपालक और शैक्षणिक अधिकारी होता है इसलिये अभ्यर्थी में उच्च कोटि की क्षमता, सत्यनिष्ठा, नैतिकता एवं संस्थागत वचनबद्धता होनी चाहिए। अभ्यर्थी को विख्यात शिक्षाविद होने के साथ–साथ ठोस प्रशासनिक अनुभव भी होना चाहिए।

विश्वविद्यालय में नियुक्त व कार्यरत वर्तमान कुलपति का कार्यकाल पूर्ण हो जाने एवं उक्त विज्ञापित पद रिक्त होने के पश्चात् ही इस विज्ञापन के माध्यम से नवनियुक्त कुलपति द्वारा कार्यभार ग्रहण किया जा सकेगा।

कुलपति पद के लिए इच्छुक अभ्यर्थी राज भवन की वेबसाइट "www.upgovernor.gov.in" पर उपलब्ध निर्धारित प्रारूप में अपना आवेदन दिनांक 01 अक्टूबर, 2024 (मंगलवार) तक केवल ऑन लाइन **(On Line)** प्रेषित कर सकते है।

निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त होने वाले किसी भी आवेदन पर विचार नही किया जाएगा।

अपर मुख्य सचिव, श्री राज्यपाल,
उत्तर प्रदेश।

RAJ BHAVAN, LUCKNOW.

NOTICE INVITING APPLICATIONS FOR APPOINTMENT OF VICE CHANCELLOR FOR BUNDELKHAND UNIVERSITY, JHANSI (U.P.)

Advt. No. E-6410/2024 Dated : August 24, 2024

It is proposed to appoint the Vice-Chancellor for Bundelkhand University, Jhansi (U.P.), established under the Uttar Pradesh State Universities Act, 1973 (No. 10 of 1973) by the Chancellor, out of a panel to be recommended by a Committee appointed in terms of Section- 12 of the said Act.

The Vice-Chancellor shall hold office for a term of 03 years from the date on which he/she enters upon his/her office or till he/she attains the age of 68 years whichever is earlier. Only such person shall be eligible for appointment to the office of Vice Chancellor who has not attained the age of 65 years.

As the Vice Chancellor is the Principal Executive and Academic Officer of the University, he/she should have highest level of competence, integrity, morals and institutional commitment. He/She is required to have sound administrative acumen besides being a distinguished person in the field of Education.

The newly appointed Vice Chancellor can take charge through this advertisement only after the tenure of the present Vice Chancellor appointed and working in the University is completed and the said advertised post becomes vacant.

The applicant for the post of Vice-Chancellor may send his/her application **Online only** in prescribed format available on the website "**www.upgovernor.gov.in**" on or before **01 October, 2024 (Tuesday)**.

Any application received after the prescribed date shall not be considered.

Additional Chief Secretary to the Governor,
Uttar Pradesh.

E-15065/2024

IV

ई–मेल

राज्यपाल सचिवालय, उत्तर प्रदेश
लखनऊ–226027

संख्या : ई–6400/जी0एस0
दिनांक : अगस्त 23, 2024

प्रेषक,

श्री राज्यपाल/कुलाधिपति के अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में

प्रमुख सचिव/सचिव, श्री राज्यपाल,
समस्त राज्य,
भारत।

SO (Edu)

महोदय,

उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में माँ शाकुम्भरी विश्वविद्यालय, सहारनपुर (उ0प्र0) स्थापित है।

उपर्युक्त विश्वविद्यालय के कुलपति पद पर नियुक्ति सम्बन्धी प्रकिया वर्तमान में विचाराधीन है। इस सम्बन्ध में विज्ञापन संख्या : ई–6400/2024, दिनांक अगस्त 23, 2024 (हिन्दी/अंग्रेजी की प्रति संलग्न) को प्रकाशित कराया जा रहा है। मा0 राज्यपाल, उत्तर प्रदेश द्वारा उपर्युक्त विज्ञापन को समस्त प्रदेशों के विश्वविद्यालयों की वेबसाइट पर भी अपलोड कराने के निर्देश दिये गये है।

AS/SO Edu 10/9/24

अतः इस सम्बन्ध मे मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया अपने प्रदेशों से सम्बन्धित विश्वविद्यालयों की वेबसाइट पर उपर्युक्त विज्ञापन को अपलोड कराने का कष्ट करें।

भवदीय

संलग्नक :-- यथोपरि।

23/8/24

(डॉ0 सुधीर एम0 बोबडे)
अपर मुख्य सचिव, श्री राज्यपाल, उ0प्र0।

IV

राज भवन, लखनऊ

मॉं शाकुम्भरी विश्वविद्यालय, सहारनपुर (उ.प्र.) के कुलपति के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन आमंत्रित करने के संबंध में सूचना

पत्रांक संख्या : ई-6408/2024 दिनांक : अगस्त 2[illegible], 2024

मॉं शाकुम्भरी विश्वविद्यालय, सहारनपुर (उ.प्र.) जो कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्र. 10 सन 1973) के अन्तर्गत स्थापित है, के कुलपति की नियुक्ति उक्त अधिनियम की धारा-12 के अधीन गठित समिति द्वारा अनुशंसित पैनल में से कुलाधिपति के द्वारा की जानी प्रस्तावित है।

कुलपति का कार्यकाल पदभार ग्रहण करने के दिनांक से 03 वर्ष की अवधि के लिए अथवा अपनी आयु 68 वर्ष पूर्ण करने तक, जो भी पहले हो, के लिए होगा। कुलपति के पद हेतु केवल वही व्यक्ति पात्र होगा जिसने 68 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो।

चूंकि कुलपति विश्वविद्यालय का प्रधान कार्यपालक और शैक्षणिक अधिकारी होता है, इसलिये अभ्यर्थी में उच्च कोटि की क्षमता, सत्यनिष्ठा, नैतिकता एवं संस्थागत प्रतिबद्धता होनी चाहिए। अभ्यर्थी को विख्यात शिक्षाविद् होने के साथ-साथ ठोस प्रशासनिक अनुभव भी होना चाहिए।

विश्वविद्यालय में नियुक्त व कार्यरत वर्तमान कुलपति का कार्यकाल पूर्ण हो जाने एवं उक्त रिक्त पद रिक्त होने के पश्चात् ही इस विज्ञापन के माध्यम से नवनियुक्त कुलपति द्वारा कार्यभार ग्रहण किया जा सकेगा।

कुलपति पद के लिए इच्छुक अभ्यर्थी राज भवन की वेबसाइट "www.upgovernor.gov.in" पर उपलब्ध निर्धारित प्रारूप में अपना आवेदन दिनांक 09.10.2024 (बुधवार) तक केवल ऑनलाइन (On Line) प्रेषित कर सकते हैं।

निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त होने वाले किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।

अपर मुख्य सचिव श्री राज्यपाल,
उत्तर प्रदेश।

RAJ BHAVAN, LUCKNOW

NOTICE INVITING APPLICATIONS FOR APPOINTMENT OF VICE CHANCELLOR FOR MAA SHAKUMBHARI UNIVERSITY, SAHARANPUR (U.P.)

Advt. No. E-6400/2024 Dated : August 23, 2024

It is proposed to appoint the Vice Chancellor for Maa Shakumbhari University, Saharanpur (U.P.), established under the Uttar Pradesh State Universities Act, 1973 (No. 10 of 1973), by the Chancellor, out of a panel to be recommended by a Committee appointed in terms of Section- 12 of the said Act.

The Vice-Chancellor shall hold office for a term of 03 years from the date on which he/she enters upon his/her office or till he/she attains the age of 68 years whichever is earlier. Only such person shall be eligible for appointment to the office of Vice Chancellor who has not attained the age of 65 years.

As the Vice Chancellor is the Principal Executive and Academic Officer of the University, he/she should have highest level of competence, integrity, morals and institutional commitment. He/She is required to have sound administrative acumen besides being a distinguished person in the field of Education.

The newly appointed Vice Chancellor can take charge through this advertisement only after the tenure of the present Vice Chancellor appointed and working in the University is completed and the said advertised post becomes vacant.

The applicant for the post of Vice-Chancellor may send his/her application Online only in prescribed format available on the website "www.upgovernor.gov.in" on or before 09-10-2024 (Wednesday).

Any application received after the prescribed date shall not be considered.

Additional Chief Secretary to the Governor,
Uttar Pradesh.

राज भवन, लखनऊ

राजा महेन्द्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय, अलीगढ़ (उ.प्र.) के कुलपति के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन आमंत्रित करने के संबंध में सूचना

विज्ञापन संख्या : ई–6266 / 2024 दिनांक : अगस्त 22, 2024

राजा महेन्द्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय, अलीगढ़ (उ.प्र.) जो कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्र. 10 सन् 1973) के अन्तर्गत स्थापित है, के कुलपति की नियुक्ति उक्त अधिनियम की धारा–12 के अधीन गठित समिति द्वारा अनुसंशित पनल में से कुलाधिपति के द्वारा की जानी प्रस्तावित है।

कुलपति का कार्यकाल पदभार ग्रहण करने के दिनांक से 03 वर्ष की अवधि के लिए अथवा अपनी आयु 68 वर्ष पूर्ण करने तक, जो भी पहले हो, के लिए होगा। कुलपति के पद हेतु केवल वही व्यक्ति पात्र होगा जिसने 65 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो।

चूंकि कुलपति विश्वविद्यालय का प्रधान कार्यपालक और शैक्षणिक अधिकारी होता है, इसलिये अभ्यर्थी में उच्च कोटि की क्षमता, सत्यनिष्ठा, नैतिकता एवं संस्थागत वचनबद्धता होनी चाहिए। अभ्यर्थी को विख्यात शिक्षाविद होने के साथ–साथ ठोस प्रशासनिक अनुभव भी होना चाहिए।

विश्वविद्यालय में नियुक्त व कार्यरत वर्तमान कुलपति का कार्यकाल पूर्ण हो जाने एवं उक्त विज्ञापित पद रिक्त होने के पश्चात ही इस विज्ञापन के माध्यम से नवनियुक्त कुलपति द्वारा कार्यभार ग्रहण किया जा सकेगा।

कुलपति पद के लिए इच्छुक अभ्यर्थी राज भवन की वेबसाइट "www.upgovernor.gov.in" पर उपलब्ध निर्धारित प्रारूप में अपना आवेदन दिनांक 30.09.2024 तक केवल ऑन लाइन **(On Line)** प्रेषित कर सकते हैं।

निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त होने वाले किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

अपर मुख्य सचिव, श्री राज्यपाल,
उत्तर प्रदेश।

RAJ BHAVAN, LUCKNOW.

NOTICE INVITING APPLICATIONS FOR APPOINTMENT OF VICE CHANCELLOR FOR RAJA MAHENDRA PRATAP SINGH STATE UNIVERSITY, ALIGARH (U.P.)

Advt. No. E-6266/2024

Dated : August 22, 2024

It is proposed to appoint the Vice-Chancellor for Raja Mahendra Pratap Singh State University, Aligarh (U.P.), established under the Uttar Pradesh State Universities Act, 1973 (No. 10 of 1973) by the Chancellor, out of a panel to be recommended by a Committee appointed in terms of Section- 12 of the said Act.

The Vice-Chancellor shall hold office for a term of 03 years from the date on which he/she enters upon his/her office or till he/she attains the age of 68 years whichever is earlier. Only such person shall be eligible for appointment to the office of Vice Chancellor who has not attained the age of 65 years.

As the Vice Chancellor is the Principal Executive and Academic Officer of the University, he/she should have highest level of competence, integrity, morals and institutional commitment. He/She is required to have sound administrative acumen besides being a distinguished person in the field of Education.

The newly appointed Vice Chancellor can take charge through this advertisement only after the tenure of the present Vice Chancellor appointed and working in the University is completed and the said advertised post becomes vacant.

The applicant for the post of Vice-Chancellor may send his/her application **Online only** in prescribed format available on the website "**www.upgovernor.gov.in**" on or before **30-09-2024**

Any application received after the prescribed date shall not be considered.

Additional Chief Secretary to the Governor,
Uttar Pradesh.